ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में मनरेगा

माया भारती*

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कई विकासपरक तथा रोजगारपरक योजनाए चलाई गई है। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। जिसमें गरीब, पिछड़े समुदाय के साथ–साथ महिलाओं को भी समाज के मुख्य धारा मे लाने के लिए सतत प्रयास जारी रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो पायेगें कि भारतीय समाज की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति भी दयनीय थी। देश की एक तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यो में संलग्न थी।[1] रोजगार के अवसर कम थे, मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। उन्हें उनके श्रम का उचित प्रतिफल भी नही मिलता था। ग्रामीण सुविधाएँ जर्जर थी। ढ़ाँचागत स्तर पर सड़क, बिजली, सिंचाई आदि की समस्याएँ विद्यमान थी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान थी। साक्षरता का स्तर कम था। इन्ही सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही कार्य शुरू कर दिये गये तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन सभी समस्याओं को कम करने कोशिश होती रही।मनरेगा भी इन्ही क्रम में एक प्रयास है ।

योजना के उद्देश्य और उसके प्रभाव :– मनरेगा का प्रस्ताव 'नरेगा' ('राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम) 2005' के नाम से संसद में लाया गया तत्पश्चात इसे संसद तथा राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिलने के बाद 2 फरवरी 2006 को इसे आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दापाली ग्राम पंचायत से इस योजना को लागू किया गया ।[2] शुरू में इसे देश के कुछ जिले मे ही लागू किया गया, बाद में 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 में एक संशोधन के माध्यम से इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है। क्योंकि यह योजना महात्मा गाँधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है तथा श्रम एवं श्रमिक की महत्ता को प्रतिस्थापित करता है।

मनरेगा की रूप रेखा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सामुदायिक सम्पत्ति निर्माण के निर्माण के लिए, महिला और हाशिए पर स्थित दूसरे समूहों के सशक्तीकरण के लिए तथा अनियत श्रम बाजार में काम की स्थिति में सुधार लाने और पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर करने जैसी दूरगामी प्रभावों के मद्देनजर बनायी गयी। समाज में स्थापित विषमता गरीबी एंव अन्याय को दूर करने की कोशिश की गई। मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए भी समय–समय पर प्रावधान हुए जैसे–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समाजिक सुरक्षा अधिनियम आदि. परन्तु मजदूरों को रोजगार दिलाने का गारण्टी युक्त कार्यक्रम पहली बार 'नरेगा' के रूप में दशवीं पंचवर्षीय के रूप में सामने आया ।

मनरेगा के प्रमुख प्रावधान –

- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य रोजगार के लिए आवेदन दे सकते हैं जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं ऐसे परिवार को योजना का लाभ उठाने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा।
- जिस परिवार को जॉब कार्ड मिल चुका है वह रोजगार की मांग करते हुए ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन दे सकता है। आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होगा कि आवेदक कब और किस अवधि के दौरान रोजगार चाहते हैं। न्यूनतम 15 दिन का रोजगार जरूर दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत रोजगार के लिए अर्जी मिलने पर आवेदक को तिथियुक्त पावती रसीद जारी करेगी। इस पर्ची पर दी गई तारीख के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार मुहैया कराना जरूरी होगा।
- अगर 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे नकद दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेराजगारी भत्ते के भगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को वहन करनी होगी।[3]
- ***जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी।***[4]
- मजदूरी का हिसाब संबंधित राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर लगाया जाएगा। यदि केंद्र सरकार कोई मजदूरी दर अधिसूचित करती है तो उसी को लागू किया जाएगा और यह दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा। किसी भी काम के लिए अधिकतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य होगा। नियोजन और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की केन्द्रीय भूमिका होगा
- अगर कोई व्यक्ति योजना से संबंधित सभी खाते और रिकार्ड देखना चाहता है तो एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उसे सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ हासिल करने का अधिकार होगा।

शोध छात्रा राजनीति विज्ञान विभाग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय लखनऊ

मनरेगा मे महिला सहभागिता – मनरेगा मे महिलाओ को विशेष अहमियत देते हुए न्यूनतम एक तिहाई कार्य को महिलाओ के लिए सुनिश्चित किया गया है । चूकि मनरेगा में महिलाए ज्यादा से ज्यादा भाग ले सके, इसके लिए इनके बालको की कार्यस्थल पर देख–रेख की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा मनरेगा में इन सुविधाओ से महिलाओ का योगदान बढ–चढ कर देखने को मिल रहा है। जो सामाजिक समावेशन तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण की दिशा मे अच्छा प्रयास माना जा रहा है ।

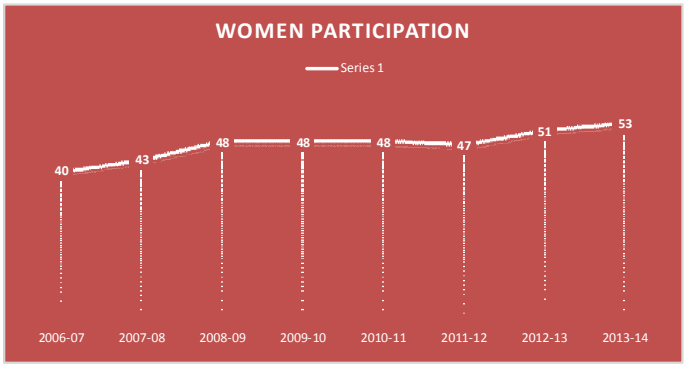

स्त्रोत–नरेगा की बेबसाइट

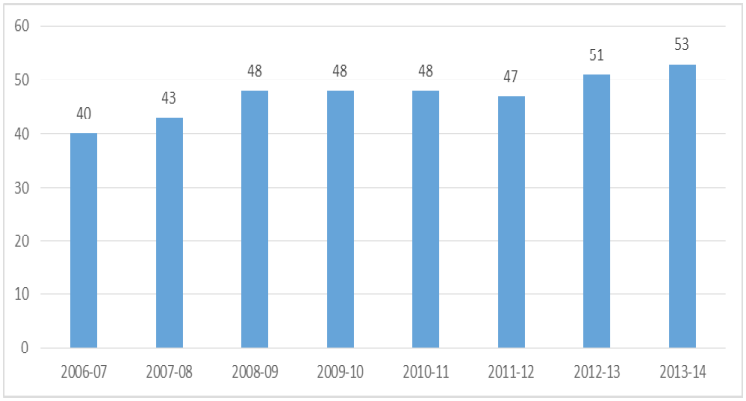

स्त्रोत–बेबसाइट, नरेगा. निक.इन

मनरेगा का कुछ राज्यो मे विश्लेषण :–

रितिका और खेरा ने अपने स्पेशल लेख 'भारत में महिलाओ की नरेगा में भागीदारी'[5]2009 में छः राज्यों का बिश्लेषण किया है। ये राज्य बिहार, छत्तीसगढ़,

झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में कुछ निश्चित मानक के आधार पर साक्षात्कार इन्होने किया। तो इन्होने पाया कि मनरेगा ने प्रत्येक राज्य में सकारात्मक परिणाम दिए है भले ही प्रतिशतता अलग–अलग है। राजास्थान तथा मध्यप्रदेश में प्रतिदिन की महिला भागेदारी अधिक थी। लगभग राज्यो में 40–50 प्रतिशत के बीच मे महिला भागेदारी था वही कुछ राज्यों यह बहुत कम था। विधवा तथा एकल महिला मुखिया के लिए विशेष प्रावधान से सामाजिक स्तर पर विधवांओ की स्थिति भी मजबूत है आर्थिक स्तर पर स्थिति सुधरने से वे अपना आधारभूत खर्च स्वंय वहन कर ले रही है।

अपने साक्षात्कार में इन्होने ये भी पाया कि औसतन लगभग दो तिहाई महिलाओं ने कहा कि मनरेगा से भोजन जैसे आधारभूत समस्या का समाधान हो पाया है। भूखमरी कम हुई है। लगभग 50 प्रतिशत अधिक महिलाओ को विस्थापन की समस्या से छुटकारा प्राप्त हुआ है। मनरेगा लागू होने से महिलाएं तथा पुरूष को घर के पास रोजगार मिला है। जिससे शहरों पर दबाव कम हुआ है। जिससे शहरो की ओर पलायन की समस्या रूकी है। राजस्थान के सिरोही जिले की लीला अजमा ने सर्वेक्षण के दौरान बताया कि वे मनरेगा से प्राप्त आय को कृषि कार्यो पर खर्च करती है। जिससे कृषि की उपज बढ़ती है और परिवार का भोजन तथा अन्य आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती है।

महिलाओं की मनरेगा में बढ़ती भागेदारी का विश्लेषण :–

मनरेगा में बढ़ती भागेदारी का विश्लेषण करे तो पाऐगे कि मनरेगा ने श्रमिको को गरिमापूर्ण कार्य करने का समान स्तर पर अवसर उपलब्ध कराया है। महिला आज सक्रिय रूप से वजार के कार्य को श्रमिक रूप से कार्य में भागीदारी नही हो रही है। क्योंकि नरेगा में उन्हे उचित पारिश्रमिक के साथ में कार्य करने का अवसर मिला है और इस तरह महिलाएं लगातार बढ़ती जा रही मनरेगा कि भागेदरी कुछ प्रमुख विन्दुओं के तहत देख सकते है।

1. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध यह रोजगार का है अधिकतम 5 किलोमीटर के अन्दर और विशेष परिस्थितियों में दूर कार्य मिलने पर परिवहन सुविधा ।
2. निश्चित कार्य समय
3. महिलाओं के सर्वेक्षण से पता चला है। महिलाएं मनरेगा में कार्य करने मे सहज महसूस करती है अपना ग्रामीण परिवेश होने कारण शारीरिक तथा मानसिक रूप से सुनिश्चित महसूस करती है।

मनरेगा में सहभागी महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याएं:– रितिका और नंदिनी नायक ने अपने अपने मनरेगा में सहभागी भारत में महिलाए 2009 में इन्होने पाया अनेक ऐसे कारण मौजूद है जो मनरेगा में सहभागी होनेकी दशा में महिलाओं

के समक्ष आते है। जैसे–

1.सामाजिक सांस्कृतिक, अषिक्षा, जागरूकता का अभाव आदि हो सकते है।

2..बिचौलिया ठेकेदार की समस्या

3..बच्चों की देखभाल की उचित अनुपलब्धता

4..मनरेगा में कार्य की प्रवृति

5..मजदूरी भुगतान में देरी कार्यस्थल पर सुविधाओ का अभाव

6.विश्राम के लिए जगह की समस्या, सुरक्षित तथा साफ पीने का पानी आदि समस्या।

निष्कर्ष– अगर मनरेगा के प्रावधानों को सही से लागू किया जाए तथा मनरेगा के तहत होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार तथा जनता सक्षम हो जाए तो गाँवों का चेहरा ही कुछ और होगा अर्थात् गाँव विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा एवं महिलाओ की स्थिति में और भी सुधार होगा।

संदर्भ संकेत

1 भारत–2014, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

2 सिंह डा. रमेश कुमार 2009,'नरेगा से बिहार गावों की बदलती तस्वीर',कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2008 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ. संख्या–33

3 त्रिपाठी डा. शीलप्रिय 'मनरेगा; अवधारणा एवं दृष्टि, संपादित किताब' ग्रामीण विकास एवं मनरेगा' भारत बुक सेन्टर, पृ. सख्या–283

4 महात्मॉ गाधी रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005, परिचालन दिशा निर्देश 2008, पृ. संख्या–2

5 खेरा रितिका (2009),'स्पेशल लेख भारत में नरेगा में महिला भागेदार आर्थिक एवं राजनीतिक' साप्ताहिक भाग 45 पेज 53

6 वही, पेज 54

7 खेरा रितिका और नायक नंदनी (2009) जेडर पाथवे आउट आक पावर्टी रूश्क एप्लाइमेंट पेज 5

संदर्भ ग्रथ–

- कुरूक्षेत्र–दिसम्बर 2009
- ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2016
- महात्मां गॉधी रोजगार गारन्टी, परिचालन दिशा– निर्देश 2008,तीसरा संस्करण
- डा. धमेन्द्र शाही 'ग्रामीण विकास एवं मनरेगा'
- रितिका खेरा (2009) स्पेशल लेख भारत में नरेगा में महिला भागेदारी आर्थिक एंव राजनीतिक साप्ताहिक भाग 45
- भारत–2014, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
- डा. रमेश कुमार सिंह, 'नरेगा से बिहार गावों की बदलती तस्वीर' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2008, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
- डा. शीलप्रिय त्रिपाठी, 'मनरेगा; अवधारणा एवं दृष्टि, संपदित किताब 'ग्रामीण विकास एवं मनरेगा' भारत बुक सेन्टर लखनऊ